

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6/वि0पत्रा0-24-01/2025

/पटना, दिनांक—

सुश्री अनुकृति मिश्रा, परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त (68वीं बैच), सीतामढ़ी अंचल, सीतामढ़ी को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक—28.12.2024 से 23.01.2025 तक 27 दिनों का उपार्जित अवकाश तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 236 के तहत दिनांक—24.01.2025 से 27.03.2025 तक शेष 63 दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित सुश्री मिश्रा के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (27-27=00) (शून्य) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(विजय कुमार)

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-01/2025 11/3

/पटना, दिनांक—30/03/26

प्रतिलिपि:-वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सीतामढ़ी/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/अंचल प्रभारी, सीतामढ़ी अंचल, सीतामढ़ी/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं सुश्री अनुकृति मिश्रा, परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त, सीतामढ़ी अंचल, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।


उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।
30.03.2026